न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते. (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 74 / 2020 निगरानी

उनवान

1. श्री गोपी लाल पुत्र वरदा गुर्जर
2. नारायण लाल पुत्र भूरा गुर्जर
3. बंशी लाल पुत्र नारायण गुर्जर
4. गोपी लाल पुत्र उदयराम गुर्जर
5. भीकमचन्द पुत्र सोहन लाल शर्मा
6. प्रहलाद राय गौड पुत्र शंकर लाल गौड
7. राजेन्द्र शर्मा पुत्र रघुनाथ शर्मा
8. गिरीराज शर्मा पुत्र रतन शर्मा
9. भैरू लाल शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा
10. रायमल गुर्जर पुत्र छग्गु गुर्जर
11. गोवर्धन सिंह पुत्र वरदी सिंह चुण्डावत ,
12. मांगी लाल पुत्र रामेश्वर गौड समस्त निवासी नेगडिया का खेड़ा पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

— निगराकार

बनाम

1. हेमलता पुत्री नाथू ढोली निवासी नेगडिया का खेड़ा पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत नेगडिया खेड़ा पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नेगडिया खेड़ा पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत नेगडिया खेड़ा पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये ग्राम विकास अधिकारी (सचित) ग्राम पंचायत नेगडिया खेड़ा पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

—गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत नेगडिया का पट्टा संख्या 07 आदेश दिनांक 24.06.2019 निरस्ती बाबत।

उपस्थित :– 1. श्री सुनिल कुमार जैन – अधिवक्ता निगराकार संख्या 1 से 12
2. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच – अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1
3. विभागीय पेरोकार – गैर निगराकार संख्या 02 व 03 की तरफ से।

निर्णय दिनांक 27.09 .2021

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निगराकार की ओर से निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम नेगडिया खेड़ा पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 700 में से गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 से मिलीभगती कर नपती 40 बाई 30 फीट का भूखण्ड जिसके पडौस पूर्व मे भूखण्ड संख्या 35, पश्चिम मे भूखण्ड संख्या 33, उत्तर मे निजी आवासीय कॉलोनी, दक्षिण में आम रास्ता का पट्टा संख्या 07 दिनांक 24.06.2019 को नियमों से परे जाकर विधि विरूद्ध जारी किया गया।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया, वह गलत जारी किया गया है व पट्टे में भूखण्ड संख्या भी अंकित नहीं है। गैर निगराकार संख्या 01 जो कि सम्पन्न है तथा किसी प्रकार से रियायती दर पंचायत राज नियम 158 के तहत रियायती दर से पट्टा जारी करने का अधिकारी नहीं होते हुए भी नियमों से परे जाकर उक्त पट्टा जारी किया गया। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा आराजी संख्या 700 में से गैर निगराकार संख्या 01 व अन्य को विधि विरूद्ध तरीके से भूखण्डों के पट्टे जारी किये गये, जिसके संबंध में शिकायत उपरान्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा जांच प्रतिवेतन क्रमांक पसस/2018/696 दिनांक 14.01.2019 के अनुसार पट्टा जारी करने में अनियमितता पायी गयी। ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड नीलामी का विज्ञापन विराट वैभव पत्रिका में दिनांक 07.01.2019 एवं नया इण्डिया पत्रिका में प्रकाशित किया गया। भूमि नियम 150 के अनुसार 01 माह पूर्व प्रकाशित की जानी थी जिसकी पालना नहीं की गयी। विज्ञप्ति में भूखण्ड संख्या 1 से 20 व 22 से 31, 36 से 44 तक एवं द्वितीय प्लानिंग में भूखण्ड़ संख्या 01 से 14 तक किया जाना बताया प्रथम नीलामी में भूखण्ड संख्या 21, 32, 33, 34 को नीलामी द्वितीय के भूखण्ड 15 से 21 नीलामी को नीलामी में किस कारण सम्मिलित नहीं किया गया, कारण अवगत नहीं कराया गया। पंचायत समिति सहाड़ा के पत्र क्रमांक 1088 दिनांक 25/07/2018 द्वारा भूखण्ड संख्या 53 से 72 तक अतिक्रमण होने से अतिक्रमण हटाने तक नीलामी रोकते हुए शेष भूखण्डों की नीलामी से रोक हटवाई गई थी, पांच माह की अवधि गुजरने के बाद भी अतिक्रमण आज दिनांक तक नहीं हटाया गया। नीलामी भूखण्डों की आराजी में प्लान अनुसार सफेद लाईन डालकर प्लानिंग नहीं की गई, जिससे भूखण्डों की जानकारी नहीं हो पाती है।

गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा नियम 141 की पालना नहीं की गयी, जबकि नियम 145(3) के तहत आवेदन के साथ स्थल के पेटे 25/- रूपये व नियम 145(3) के तहत आवेदन के साथ स्थल नक्शा संलग्न नहीं किया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिए 25/- रूपये जमा कराना अनिवार्य होता है। जबकि गैर निगराकार संख्या 01 ने ऐसा कोई शुल्क भी जमा नहीं कराया। जिससे स्पष्ट होता है कि नियम 145 की पालना गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने नहीं कर पात्र गैर निगराकार संख्या 01 को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए निर्णय कर पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने नियम 147-148 की पालना भी विधिवत नहीं की, न ही कोई ग्राम पंचायत नेगडिया खेड़ा में रियायतीदर/निःशुल्क देने हेतु प्रस्तावित भूमि की सूचना बस स्टेण्ड या सहजदृश्य स्थान पर लगवायी गयी व नहीं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये, मात्र गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 से मिलीभगती कर गैर निगराकार संख्या 02 से विधि विरूद्ध निर्णय पारित करवा दिया। नियम 151 के तहत कोई नीलामी समिति गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने गठित नहीं की और नहीं विधिवत उक्त भूखण्ड की नीलामी लगायी गयी और न ही नियम 152 के तहत बाजार कीमत उप रजिस्ट्रार द्वारा स्टाम्प शुल्क के प्रयोजनार्थ भूमियों के पिछले विक्रयों के आधार पर नियत की गयी। जिससे भी उक्त निर्णय विधि विरूद्ध है। नियम 153 के तहत जिस व्यक्ति ने अन्तिम सबसे उच्ची बोली लगायी हो, वह बोली की रकम का 10 प्रतिशत रूपये स्थल पर तुरन्त और 15 प्रतिशत रूपये 24 घण्टें के भीतर भीतर जमा कराना अनिवार्य होता है, लेकिन गैर निगराकार संख्या 02 व 03 ने ऐसी कोई राशि भी नियत अवधि में जमा नहीं की गई है। मात्र औपचारिक रूप से एक ही दिन में पत्रावली बनाकर निर्णय कर गैर निगराकार संख्या 01 को फायदा पहुंचाने की नियत से गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने पत्रावली में खानापूर्ति की गई।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा नीलामी में रोक लगाने के बावजूद भी उच्चाधिकारियों के आदेश को दरकिनार करते हुए, उक्त पट्टा जारी किया गया है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा निरस्त फरमाया जावे व गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा तथाकथित पट्टे की आड़ में किसी प्रकार का अवैध निर्माण कर लिया गया हो तो उसे ध्वस्त कराया जावें।

प्रस्तुत निगरानी प्रकरण पूर्व में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा में दिनांक 11.03.2020 को दर्ज की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानांतरित की गयी। दिनांक 01.07.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में दर्ज की जाकर उभयपक्षों को न्यायालय में सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

गैर निगराकार 02 व 03 की ओर से प्रकरण में दिनांक 09.09.2020 को जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 जो कि सम्पन्न होते हुए भी उसके द्वारा गलत तथ्य बताकर उक्त पट्टा प्राप्त किया है, जो जांच में पाया गया है। निगराकार संख्या 01 द्वारा धोखे में रखकर आवेदन किया गया व राज्य सरकारों द्वारा दीनदयाल योजना व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लोगों को अविलम्ब पट्टे जारी करने के निर्देश दिये गये, इस कारण जल्दबाजी में गैर निगराकार संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विश्वास कर उक्त पट्टा जारी हो गया। गैर निगराकारान जवाबदाता द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 से मिलीभगती कर पट्टा जारी नही किया गया है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक लोगों को पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये थे। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा तथ्य छुपाकर आवेदन पेश किया गया था व राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक लोगों को दीनदयाल योजना व अन्य योजनान्तर्गत पट्टा जारी करने हेतु निर्देश दिये गये है, गैर निगराकार संख्या 01 व अन्य को पट्टे जारी किये गये है। गैर निगराकार संख्या 01 ने पट्टे की पात्रता नहीं रखने के बावजूद भी पट्टा प्राप्त किया है, जो कि जवाबदाता व उच्चाधिकारियों द्वारा जांच की गयी है, जिसमें गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा पात्रता नहीं रखने के बावजूद भी पट्टा प्राप्त करना पाया गया है। इस कारण से न्यायहित में उक्त पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र दाधीच ने दिनांक 24.11.2020 को अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए दिनांक 31.03.2020 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता निगराकार को दिलवायी जाकर शामिल पत्रावली किया गया ।

गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा अपने जवाब में अंकन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 2 व 3 द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 से बिना कोई मिलाभगती किये विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया तथा पट्टे जो पडौस वर्णित है उस अनुसार मौके पर जवाबदाता गैर निगराकार काबिज है तथा यह गलत है कि उक्त पट्टा नियमों से परे जाकर विधि विरूद्ध जारी किया गया है तथा निगराकारगण को उक्त निगरानी प्रस्तुत करने की कोई हैसियत प्राप्त नहीं है, न ही उक्त व्यक्ति जागरूक व्यक्ति है बल्कि निगराकारगण एक नाजायज गिरोह का गठन कर रखा है जो प्रशासन द्वारा विधि सम्मत कार्य किये जाते है उनमें मिनमेख निकाल कर येनकेन प्रकारेन प्रशासन के कार्य में दखल उत्पन्न करने का कार्य करते है तथ इस दौरान पीडित पक्षकार द्वारा उन्हें अवैध तौर लाभ पहुचा दिये जाने वह मिनमेख निकालना बंद कर देते है तथा निगराकार की ओर से ग्राम पंचायत की भूमि की संरक्षण बाबत निगरानी प्रस्तुत करने का भी कोई हक अधिकार नहीं है। इसके लिए स्वयं ग्राम पंचायत सक्षम है। गैर निगराकार के नाम जारी शुदा पट्टे को अपास्त करने के जो आधार निगरानी में बताये है वह बेबुनियाद एवं निराधार होकर असत्य है। जिस ऑर्डर की अपील होती हो उसकी निगरानी नहीं की जा सकती है तथा प्रस्तुत प्रकरण में भी पंचायत समिति में अपील कानूनन पोषणीय होती है। इस कारण निगराकारगण को निगरानी प्रस्तुत करने हेतु कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है, न ही निगराकारगण ने पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन के तहत अदालत से परमिशन तथा आम सूचना प्रकाशित करवाये बिना ही यह निगरानी प्रस्तुत की है जो कानूनन पोषणीय नहीं है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

साथ ही जवाब में यह भी अंकन किया गया कि उक्त जारी पट्टे की मिसल का कोई इन्द्राज नहीं है। इस बाबत् भी उजर आपत्ति लेने का निगराकार को कोई अधिकार नहीं है तथा प्रस्तुत निगरानियां इस गिरोह द्वारा समान आधारों पर कुल 18 प्रस्तुत की गयी है जिनमें लगभग सभी एक ही तथ्य वर्णित किये गये है। पंचायत राज नियम 158 के तहत निःशुल्क पट्टा जारी करने का अधिकारी गैर निगराकारी होने से ही पट्टा जारी किया गया है। निगराकार द्वारा पंचायत समिति सहाड़ा में शिकायत की गयी जिसका जांच प्रतिवेदन पंचायत समिति द्वारा तैयार किया गया जिसमें कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है। निगरानी में भूखण्ड नीलामी का विज्ञापन 07.01.2019 को नया इण्डिया पत्रिका में प्रकाशित किया जाना वर्णित किया है जो एक माह पूर्व का होकर प्रकाशित किया गया है। नियम 150 की पूर्ण पालना की गयी है। नीलामी समिति के अधीन है कि वह किन–किन भूखण्डों को नीलाम करे और किन–किन को नहीं। इस बाबत् ग्राम पंचायत व निगराकार व गैर निगराकार का कोई दखल नहीं रहता है। मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है इसलिए हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह गलत है कि 5 माह की अवधि गुजरने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया हो। प्लान के अनुसार मौके पर सफेद लाईन डाकबेल डाली गयी थी। प्रत्येक भूखण्ड का अलग से मौके पर चिन्हित किया गया और उस भूखण्ड को देखकर ही गैर निगराकार ने आवेदन प्रस्तुत किया और नीलामी में भाग लिया। नियम 141 की पूर्णरूपेण पालना की गई है। नियम 145 (3) के तहत आवेदन का विहित शुल्क गैर निगराकार जवाबदार द्वारा जमा कराया गया तथा नक्शा का शुल्क लेकर नक्शा तैयार किया गया। नियम 147, 148 की विधिवत पालना की जाकर ही पट्टा जारी किया गया है। रियायती दर पर निः शुल्क देने हेतु प्रस्तावित भूमि की सूचना बस स्टेण्ड सहज दृश्य स्थान पर लगवायी गयी थी तथा ऐसे लगाये जाने का प्रमाण स्परूप मौतबीरान के हस्ताक्षर भी करवाये गये। गैर निगराकार संख्या 02 व 03 द्वारा उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा नीलामी पर रोक लगाने के बावजूद भी उच्चाधिकारियों के आदेश को कभी दरकिनार नहीं किया।

निगराकार ग्राम नेगडिया का खेड़ा के नागरिक अवश्य है, किन्तु इस बाबत् कोई पुख्ता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। निगराकारगण ने एक नाजायज असामाजिक तत्वों का गिरोग बना रखा है जो प्रशासन के हर कार्य में मिनरेख निकालने का कार्य करते है तथा अनावश्यक चेष्टाएं रखते है जिनकी पूर्ति होने पर शांत रहते है अन्यथा विभिन्न प्रकार से कार्यवाहियां कर समय जाया करते है। निगराकारगण द्वारा पब्लिक लिटिगेशन इन्टरेस्ट के बाबत् कोई आम सूचना जारी नहीं करवायी गयी है ऐसी हालत में निगरानी काबिल पोषणीय नहीं है। अतः निगराकार की निगरानी सव्यय खारिज फरमायी जावे और जवाबदार गैर निगराकार को अनावश्यक तौर पैरवी करने हेतु मानसिक संताप व विधि कार्यवाही में हुए खर्च स्वरूप 20,000/– रूपये दिलाये जावें।

पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। निगराकार अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा नीलामी में रोक लगाने के बावजूद भी उच्चाधिकारियों के आदेश को दरकिनार करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा निरस्त फरमाया जावे व गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा तथाकथित पट्टे की आड़ में किसी प्रकार का अवैध निर्माण कर लिया गया हो तो उसे ध्वस्त कराया जावें।

गैर निगराकार संख्या 02 व 03 की ओर से विभागीय पेरोकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा गलत तथ्य बताकर उक्त पट्टा प्राप्त किया है, जो जांच में पाया गया है। निगराकार संख्या 01 द्वारा धोखे में रखकर आवेदन किया गया व राज्य सरकारों द्वारा दीनदयाल योजना व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लोगों को अविलम्ब पट्टे जारी करने के निर्देश दिये गये, इस कारण जल्दबाजी में गैर निगराकार संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विश्वास कर उक्त पट्टा जारी हो गया। अतः उक्त पट्टा खारिज किया जावें।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निगराकार की निगरानी खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजात के अवलोकन एवं बहस के तथ्यों के अध्ययनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पहुंचते हैं कि ग्राम पंचायत नेगड़िया खेडा पंचायत समिति सहाड़ा द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है उसमें पंचायत राज नियमों की अनदेखी कर पट्टा जारी किया गया है। जिला कलक्टर कार्यालय के पत्रांक 46360 दिनांक 13.12.2019 से ग्राम पंचायत नेगड़िया खेडा द्वारा जारी पट्टे के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर से जांच करवायी गयी जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा कमेटी गठित कर जांच की गयी जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा रियायती दर पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत जारी उक्त पट्टा पात्र पाया गया किन्तु पूर्व में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सहाड़ा द्वारा पत्रांक 1085 दिनांक 16.07.2018 से ग्राम नेगडिया खेडा की आराजी संख्या 700 रकबा 4.50 हैक्टर आबादी भूमि में से कुछ भूमि पर अतिक्रमण होने से उक्त आराजियात की निलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर रोक लगायी गयी एवं इसके उपरान्त आराजी संख्या 700 रकबा 4.50 हैक्टर के स्वीकृत प्लान में से ब्लॉक संख्या 53 से 72 की नीलामी को रोकते हुए शेष भूखण्डों की नीलामी प्रक्रिया पर लगाई गई रोक हटाई गयी। गैर निगराकार संख्या 02 व 03 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकन किया है कि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत को गलत तथ्य बताकर उक्त पट्टा प्राप्त किया है। साथ ही जवाब प्रार्थना पत्र में यह भी अंकन किया कि राज्य सरकार द्वारा दीनदयाल योजना व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लोगों को अविलम्ब पट्टे जारी करने के निर्देश दिये गये, इस कारण जल्दबाजी में गैर निगराकार संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विश्वास कर उक्त पट्टा जारी हो गया।

उपरोक्त विवेचन अनुसार गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत नेगडिया खेडा पंचायत समिति सहाड़ा से पट्टा संख्या 07 दिनांक 24.06.2019 प्राप्त किया है एवं उक्त पट्टे की पात्रता/अपात्रता के संबंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा भी जांच की गयी है, जिसमें गैर निगराकार संख्या 01 पात्र पाया गया है, परन्तु गैर निगराकार संख्या 02 व 03 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकन किया है कि गैर निगराकार संख्या द्वारा गलत तथ्य बताकर उक्त पट्टा प्राप्त किया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 07 दिनांक 24.06.2019 को जारी करने की प्रक्रिया संदेहास्पद प्रतीत होने से प्रकरण की पुनः जांच हेतु रिमाण्ड किया जाना प्रथमदृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्तानुसार निगराकार की निगरानी आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

अतः निगराकार की निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत नेगडिया खेडा, पंचायत समिति सहाड़ा को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि पट्टा संख्या 07 दिनांक 24.06.2019 हेमलता पुत्री नाथू ढोली निवासी नेगड़िया खेडा को पंचायती राज नियमों के तहत नियमानुसार जारी किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में समस्त भौतिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की पूर्ण जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावें। आदेश की प्रति पालनार्थ मय तलबिदा रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें।

आदेश आज दिनांक 27.09 .2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)